(159)

Rs 5 INDIA भारत FIVE RUPEES Rs 5 INDIA भारत FIVE RUPEES

माननीय न्यायालय मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल केन्द्र ग्वालियर म0प्र0

प्रकरण क्रमांक / 2016 निगरानी निग - 1992-PBR-16

हरीराम पिता देवाजी, आयु 75 वर्ष, निवासी ग्राम कसेर तहसील पिपलौदा जिला रतलाम म0प्र0 ....आवेदक

विरूद्ध

1. देउबाई पिता भुवानजी, आयु 70 वर्ष, निवासी ग्राम कसेर तहसील पिपलौदा जिला रतलाम म0प्र0

2. म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर महोदय जिला रतलाम ....अनावेदकगण

पुनरिक्षण आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

01. यह कि, संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि विवादित भूमि सर्वे नंबर 37/1/6 रकबा 0.500 आरे स्थित ग्राम कसेर तहसील पिपलौदा जिला रतलाम में है उक्त भूमि आवेदक के भूमि स्वामी, स्वत्व पर चली आ रही है तथा आवेदक उक्त भूमि पर वर्षो से काबिज होकर फसल बोता है उक्त भूमि पर फसलों मे सिंचाई हेतु कुआं व उसमें एक विद्युत कनेक्शन भी ले रखा है। उक्त भूमि का बंदोवस्त पूर्व नया नंबर 99 रकबा 0.500 हेक्टेयर दर्ज हुआ, परन्तु अनावेदक 1 द्वारा एक शिकायत की गई जिसकी जांच तहसीलदार पिपलौदा के द्वारा की गई जिसमें तहसीलदार महोदय को राजस्व निरीक्षक वृत्त 1 कालुखेडा तहसील पिपलौदा द्वारा जांच प्रतिवेदन दिया गया। जिसमें उक्त भूमि पर आवेदक के स्थान पर अनावेदक 1 देउबाई पुत्री भुवान लिखा गया व दुरूस्ती की जाना इस आशय का प्रतिवेदन दिनांक 20/06/2015 को राजस्व निरीक्षक द्वारा तहसीलदार महोदय को प्रस्तुत किया गया। उक्त जांच प्रतिवेदन प्रकरण क्रमांक 93/बी–121/2014–15 पर स्थापित होकर 15/02/2016 तहसीलदार महोदय ने अपनी प्रकरण पत्रिका में लिया जिसके विरूद्ध यह निगरानी श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है।

निरंतर 2

(3)

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-1992-पीबीआर/16 **जिला** - रतलाम

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-12-18	आवेदक की ओर से, अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 27-3-19 को कलेक्टर, जिला रतलाम के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	